manupatra®

Hindi

AWAAZ

www.manupatra.com

JUSTICE adda

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य

मनु/एस सी/0445/1973

तथ्य

“एडनीर मठ” के प्रमुख स्वामी श्री एच. एच. श्री केशवानंद भारती ने केरल राज्य सरकार के दो भूमि सुधार अधिनियमों के तहत अपनी संपत्ति के प्रबंधन पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों को चुनौती दी। सरकारी हस्तक्षेप के बिना धार्मिक स्वामित्व वाली संपत्ति के प्रबंधन के अधिकार के संबंध में अनुच्छेद 26 के तहत एक याचिका दायर की गई थी

संविधान को 1971-72 में संशोधित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित अधिनियमों को नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया था:-

- केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1969;
- केरल भूमि सुधार संशोधन) अधिनियम, 1971

तब याचिकाकर्ता ने संवैधानिक संशोधनों को चुनौती देने के लिए अतिरिक्त आधार और रिट याचिका में संशोधन का आग्रह किया।

काननी प्रश्न

संविधान के अनुच्छेद 368 द्वारा, अनुच्छेद 13 (2) के अलावा (जो राज्य को मौलिक अधिकारों को कम करने वाले कोई भी कानून बनाने से प्रतिबंधित करता है) संसद को प्रदान की गई संशोधन शक्ति की सीमा क्या है?

निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में निर्णय की समीक्षा की और 24वें, 25वें, 26वें और 29वें संशोधनों की वैधता पर विचार किया। इस मामले की सुनवाई 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने की थी। बेहद नज़दीकी अंतर से विभाजित निर्णय में, 7-6 के बहुमत से, न्यायालय ने कहा कि हालांकि संसद के पास "व्यापक" शक्तियां हैं, लेकिन उसके पास संविधान के आधारिक संरचना (Basic Structure) को कम या नष्ट करने की शक्ति नहीं है।

- गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1967 एस.सी. 1643 (जिसमें कहा गया था कि संसद की संशोधन शक्तियां संविधान के किसी भी मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकती) को खारिज कर दिया गया था।

- संविधान (चौबीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1971 (संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति देना) को मान्य ठहराया गया।

- संशोधित हुआ अनुच्छेद 368 वैध था, लेकिन यह संसद को संविधान की आधारिक संरचना या ढांचे को बदलने की शक्ति प्रदान नहीं करता था। हालाँकि, न्यायालय ने किसी भी विस्तृत तरीके से यह नहीं बताया कि आधारिक संरचना क्या थी। हालाँकि कुछ न्यायाधीशों ने इस परिभाषा के कुछ उदाहरण दिए। इस मामले में अनुच्छेद 31सी के संशोधन को अमान्य माना गया।

न्यायाधीश एच. आर. खन्ना ने कहा कि

"संविधान एक द्वार नहीं है, बल्कि एक रास्ता है। संविधान का मसौदा तैयार करने के पीछे एक जागरूकता है कि चीजें रुकती नहीं हैं, बल्कि आगे बढ़ती हैं। इससे यह तात्पर्य है कि एक प्रगतिशील राष्ट्र का जीवन, एक व्यक्ति के जीवन के समान होता है, जो स्थिर नहीं, बल्कि गतिशील और जोशपूर्ण है। इसलिए संविधान में प्रशासन के कार्य में प्रयोग और परीक्षण के लिए पर्याप्त प्रावधान होना चाहिए। इस बात पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है कि संविधान एक तय किया गया उत्कृष्टतम रूप की बोली का दस्तावेज नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन को व्यवस्थित करने का साधन है और समय समय पर बदला भी जा सकता है।"

मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सिकरी ने कहा कि:

विधान के प्रत्येक प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है बशर्ते कि संविधान की मूल नींव और आधारिक संरचना समान रहे। इस संरचना में निम्नलिखित विशेषताएं शामिल की जा सकती हैं:

- संविधान की सर्वोच्चता;
- सरकार का गणतंत्रवादी और लोकतांत्रिक रूप के आदर्श;
- संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र;
- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण;
- संविधान की संघीय संरचना आदि ।

उपरोक्त संरचना व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता के मूल बुनियाद पर बनी है। यह सर्वोच्च महत्व की है, इसलिए इसे किसी भी प्रकार के संशोधन द्वारा हटाया या फिर नष्ट नहीं किया जा सकता है।